"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-9/18/2013.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 8 के कॉलम (4) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

2. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 9 के कॉलम (4) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**— हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**— अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**— उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन का पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एन्ट्री की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 10 के कॉलम (4) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 4-9/18/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-9/18/2013, दिनांक 27-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 27th April 2013

NOTIFICATION

No. F 4-9/18/2013.—In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of pay and Allowances) Rules, 1967, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-III, for the entries relating to column (4) of serial number 8, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. In Schedule-III, for the entries relating to column (4) of serial number 9, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Instituted/Stenography Typing Council :—

(a) **For Stenograhper (Hindi)** — Passed Hindi Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer**— Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate of Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. In Schedule-III, for the entries relating to column (4) of serial number 10, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (efficiency test for speed shall be taken),

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.